

धर्मामब्द उनियाल राजकीय महाविद्यालय

नरेन्द्रनगर—249175, (टिहरी गढ़वाल), उत्तराख्रण्ड Email: gdcnarendranagar@gmail.com

त्रांक छात्र आचार संहिता

दिनाँक

नियम / विनियम – यह छात्र आचार संहिता महाविद्यालय की गतिविधियों तथा परिसर में होने वाले छात्रों के सभी प्रकार के आचरण पर लागू होगी।

- छात्र / छात्राओं महाविद्यालय में किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रति वचन एवं कर्म द्वारा निरादर प्रकट नहीं करेंगें।
- 2. महाविद्यालय में आए किसी अतिथि के प्रति अभद्रता प्रकट नहीं करेंगे।
- 3. सभी छात्र / छात्राएं कक्षा अविध में कक्षाओं / वाचनालय में उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।
- 4. ऐसा कोई भी कार्य जिससे महाविद्यालय की शांति व्यवस्था को हानि पहुंचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो, नहीं करेंगे।
- 5. रैगिंग करना या उसके लिए प्रेरित करना उच्चतम न्यायालय द्वारा दंडनीय अपराध घोषित किया जा चुका है।
- 6. जाली हस्ताक्षर, झूठा प्रमाण पत्र या बयान प्रस्तुत करना दंडनीय अपराध माना जायेगा ।
- 7. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान अथवा मादक पदार्थों का सेवन करना वर्जित है।
- 8. महाविद्यालय के भवन, संपत्ति को क्षति पहुंचाने अथवा क्षति पहुंचाने का प्रयास करने पर कठोर कार्रवाही की जाएगी।
- 9. छात्र—छात्राएं कक्षाओं में नियमित रहेंगे और अपनी उपस्थिति 75 प्रतिशत सुनिश्चित करेंगे।
- 10. शास्ता मंडल / अनुशासन समिति के आदेशों का पालन करेंगे।
- 11. महाविद्यालय परिसर में लड़ाई—झगड़ा एवं मार—पीट, धमकी, किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करेंगे।
- 12. किसी भी व्यक्ति के लिए लिंग, जाति, धर्म या धार्मिक विश्वासों, क्षेत्र, भाषा, विकलांगता,यौन उत्पीड़न आदि के आधार पर भेद—भाव (शारीरिक या मौखिक आचरण) का कोई भी कार्य निषिद्ध रहेगा।

कमशः 2

Principal

D. U. Govt Degree College
Narendra Nagar (T.G.)

- 13. प्रत्येक छात्र—छात्रा के पास पिरचय—पत्र का होना आवश्यक है, जिसे वह प्रतिदिन महाविद्यालय में अपने साथ लेकर आयेंगे। शास्ता मण्डल अथवा महाविद्यालय के किसी कर्मचारी के द्वारा पिरचय—पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
- 14. छात्र—छात्राओं को प्रतिदिन महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस/यूनिफॉर्म में आना अनिवार्य है।
- 15. कानून या नीति के विपरित किसी भी विस्फोटक, हथियार, आतिशबाजी को महाविद्यालय में ले आना या उपयोग करना दण्डनीय अपराध होगा।
- 16. जिन छात्र—छात्राओं की गतिविधियां शास्ता मण्डल अथवा महाविद्यालय प्रशासन की राय में अवांछनीय है, उन्हें प्रवेश लेने से वंचित किया जा सकता है अथवा निष्कासित किया जा सकता है अथवा उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- 17. महाविद्यालय भवन के कक्षों एवं दीवारों आदि पर लिखना, थूकना अथवा गन्दा करना, उन पर विज्ञापन आदि चिपकाना वर्जित है।
- 18. पूर्व अनूमित के विना परिसर में किसी भी गतिविधि के ओडियों विडियों बनाना, मिडिया में अग्रसारित करने की अनुमित नहीं है।
- महाविद्यालय परिसर में सदभाव और समांजस्य का वतावरण बनाने में सभी छात्र/छात्राएें प्रयत्न शाील रहेगें।
- 20. महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त समस्त छात्र/छात्राऐं महाविद्यलय के नियमों और विनियमों से बन्धे होते हैं।
- 21. किसी भी नियम के विरूद्ध आचरण के दोषी पाये जाने पर छात्र/छात्राऐं दण्ड के भागी होंगे।

D. U. Govt Degree College Narendra Nagar (T.G.)